आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
22.01.2019		

न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया

सेवा अपील वाद संख्या-49/2018

1. मिन्नौती देवी, पति-प्रदीप कुमार साह, सा0-बंगरा, थाना-अमौर, जिला-पूर्णिया।

.... अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य।
2. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया।
3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर।
4. महिला पर्यवेक्षिका, प्रखण्ड-अमौर।
5. चन्दा कुमारी, पति-मुन्ना कुमार राय, सा0-बंगरा, थाना-अमौर, जिला-पूर्णिया।
6. इफत फातमा, पति-साकिव अनवर, सा0-बंगरा, थाना-अमौर, जिला-पूर्णिया।
7. गुल्टन मण्डल, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, खरसौता, प्रखण्ड-आजमनगर, जिला-कटिहार।

.... विपक्षीगण

आ दे श

प्रस्तुत अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के ज्ञापांक-410/जि0प्रो0, दिनांक-19.03.18 के विरूद्ध दायर किया गया है। यह मामला आंगनबाड़ी केन्द्र, वार्ड नं0-05, पंचायत-बंगरा मेहदीपुर, परियोजना-अमौर के सेविका पद से संबंधित है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि उनका चयन आंगनबाड़ी केन्द्र, वार्ड सं0-05 (पंचायत-बंगरा मेहदीपुर) में किया गया था। परन्तु विपक्षी सं0-05 द्वारा आपत्ति दिए जाने पर निम्न न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों का अवलोकन किए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को चयन का आदेश दिया गया है। अपीलार्थी के उपर यह आरोप है कि इनके जन्म तिथि में भिन्नता है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा वर्ग अष्टम का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से निर्गत प्रमाण-पत्र देखा

जा सकता है, जिसमें अपीलार्थी की जन्म तिथि 25.03.1983 अंकित है। निम्न न्यायालय द्वारा मध्य विद्यालय, खरसौता, जिला-कटिहार के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 16.02.18 को आधार मानकर दिनांक 12.03.1998 को निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आलोक में जन्म तिथि में भिन्नता बताया जा रहा है। उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक 27.02.18 को यह भी लिखकर दिया गया है कि दिनांक 16.02.18 का प्रतिवेदन उनसे दबाव डालकर जबरदस्ती लिखवा लिया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा जिस प्रतिवेदन को आधार मानकर मेरे दावे को अस्वीकृत किया गया है, वह आधार ही गलत है। साथ ही विभागीय निदेश के आलोक में सेविका पद हेतु जन्म तिथि/उम्र का निर्धारण मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाना है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी का चयन बिहार शिक्षा संस्कृत बोर्ड के प्रमाण-पत्र के आधार पर किया गया था। अतएव माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि निम्न न्यायालय का आदेश खारिज करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विपक्षी सं0-06 के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलार्थी पूर्व में सहायिका पद पर गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन दी थी। पुनः सेविका पद पर दूसरे जन्म तिथि के आधार पर आवेदन दी थी। इस प्रकार इनके जन्म तिथि में अंतर है। इस संबंध में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी प्रतिवेदन दिया गया है। अतएव अपील आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

इस वाद में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक 862/जि0प्रो0 दिनांक 20.06.18 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, खरसौता, जिला-कटिहार द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 16.02.18 को आधार मानकर अपीलार्थी के पक्ष में वर्ग अष्टम् से संबंधित निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र दिनांक 12.03.98 को फर्जी मानते हुए आदेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी का अपील आवेदन, विपक्षी सं0-06 से प्राप्त कारणपृच्छा तथा मंतव्य प्रतिवेदन/अभिलेख के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अपीलार्थी के पक्ष में वर्ग अष्टम् का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र दिनांक 12.03.1998 (मध्य विद्यालय, खरसौता, प्रखण्ड आजम नगर, जिला-कटिहार) से निर्गत है, जिसमें उनकी जन्म

तिथि दिनांक 25.03.1983 अंकित है। इसी विद्यालय के प्रधानाध्यपक द्वारा दिनांक 16.02.18 को यह प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 12.03.98 को निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र सही नहीं है। पुनः उक्त प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक 27.02.18 को प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 16.02.18 का प्रतिवेदन उनके द्वारा दबाव में आकर लिखा गया है। इस प्रकार वर्ग अष्टम संबंधी प्रमाण-पत्र के मामले में संबंधित विद्यालय द्वारा विरोधाभाष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। सामाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1669 दिनांक 09.05.12 में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र के आधार पर जन्म तिथि/उम्र का निर्धारण किया जाना है। अपीलार्थी द्वारा मैट्रिक समकक्ष यथा मध्यमा प्रमाण-पत्र के आधार पर सेविका पद हेतु आवेदन दिया गया था। ऐसी स्थिति में उम्र/जन्म तिथि के निर्धारण हेतु अन्य किसी प्रमाण-पत्र के गुण-दोष पर विचार किया जाना विभागीय निदेशों के विपरीत है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 410/जि0प्रो0 दिनांक 19.03.18 में पारित आदेश को अस्वीकृत करते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी का चयन विधि सम्मत तरीके से सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

ज्ञापांक 2183 / विधि दि0 26-06-19 /
प्रतिलिपि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अमौर/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/6/19

D:\Legal Letter\Service Appeal\Service Appeal Final Order